## टी-13020/1/2021-डीसीसी

## भारत सरकार आयुष मंत्रालय औषधि नीति अनुभाग

एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक-III (दूसरी मंजिल), ईस्ट किदवई नगर, साउथ एक्स-I, नई दिल्ली-110023

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: विनिर्माण परिसर में एएसयू (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) और एफएसएसएआई के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण पर स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया.

आयुष मंत्रालय को विनिर्माण परिसर में आयुष और एफएसएसएआई दोनों के तहत उत्पादों के विनिर्माण की मंजूरी देने के लिए कंपनियों का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों में आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी और एफएसएसएआई के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण हेतु विनिर्माण लाइन और उपकरणों के संयुक्त ढांचे का उपयोग करने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है।

- 2. इसके अतिरिक्त, जिस परिसर में आयुष उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है, वहां एफएसएसएआई लाइसेंस / पंजीकरण के तहत खाद्य उत्पादों के विनिर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
- 3. उपरोक्त के मद्देनजर, यह उल्लेख किया जाता है कि एएसयू सुविधाओं का उपयोग एफएसएसएआई के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि विनिर्माण कंपनी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की अनुसूची-न के अनुसार परस्पर संदूषण से बचने के लिए उचित सावधानियां बरतनी चाहिए।
- 4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मदन लाल मीणा),

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में.

सभी राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रतिलिपि ,

 डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, औषधि महानियंत्रक (भारत), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ),

ईमेल आईडी- dci@nic.in, ayushpl@cdsco.nic.in.

- II. श्री. विकास तलवार, उप निदेशक (नियामक अनुपालन विभाग), एफएसएसएआई, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
- III. **सर्वोत्तम केयर लिमिटेड,** पंजीकृत कार्यालय: 1-20-248, उमाजय कॉम्प्लेक्स, रसूलपुरा, सिकंदराबाद 500003, भारत । ईमेल: sarvolhamoff@sarvothamcare.com
- IV. **गुजरात आयुर्वेद औषध मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,** गुजरात। ईमेल आईडी gaamagujaushhad@gmail.com